न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./डिक्री/2117/2004/अलवर

1– मु0 सरोज बेवा राजकुमार जाति अहीर निवासी ग्राम खरखड़ा तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
2– मु0 राजबाला पत्नि भानूप्रताप जाति अहीर निवासी नंगली पठान, तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजेश कुमार पुत्र रोहताश जाति अहीर निवासी मांढण तहसील बहरोड, जिला अलवर।
2– कु0 रवीना उर्फ राकेश पुत्री राजकुमार जाति अहीर निवासी मांढण तहसील बहरोड नाबालिग बसरपरस्ती रोहताश पुत्र रामजीलाल दादा खुद जाति अहीर निवासी मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितः

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः 17–12–2024

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 183/2003 में पारित निर्णय दिनांक 30–10–2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने विरूद्ध अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण के न्यायालय सहायक कलक्टर, किशनगढ़बास के समक्ष एक वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण आराजी खसरा नंबर 1184 रकबा 2.05 बीघा तथा खसरा नंबर 1187 रकबा 1.00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 बीघा भूमि वाके ग्राम

बोलनी तहसील किशनगढ़बास के काबिज काश्तकार हैं। विवादित भूमि प्रत्यर्थी सं0–1/वादी सं0–1 के भाई तथा प्रत्यर्थी सं0–2/वादिनी सं0 2 के पिता राजकुमार यादव पुत्र रोहताश यादव ने जरिये रजिस्ट्री क्रय किया है। दिनांक 14–02–98 को राजकुमार का निधन हो गया जिनकी एक मात्र वारिस वादी सं0–2 है। प्रतिवादी सं0 2 ने राजकुमार की मृत्यु के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया है इसलिए राजकुमार की सम्पति में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। प्रतिवादी सं0–1 सरोज ने राजकुमार की मृत्यु के बाद राजकुमार की आराजी के 1/2 हिस्से का इंतकाल अपने नाम करा लिया तथा उस भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 2 मु0 राजबाला को कर दिया तथा इंतकाल प्रतिवादी सं0 2 के नाम खोल दिया गया। जबकि मृतक राजकुमार ने वादी सं0 1 राजेश के हक में वसीयत कर दी थी। उक्त वसीयत को फर्जी मानते हुए थाना किशनगढ़बास में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी जिसमें एफ.आर. भी लग चुकी है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात के कायम रहने से वादीगण को नुकसान होता है व हितों पर कुठाराघात है। अतः दावा डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया किन्तु उनके उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में 4 तनकियात कायम की तथा सभी तनकियों पर विवेचना करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–2001 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायलय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–10–2003 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–2001 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थीगण के नोटिस पर विपक्षी ने तामील कुनिन्दा की मिलीभगत से मकान पर चस्पा करने की एकतरफा रिपोर्ट बिना किसी न्यायालय की आज्ञा के करवाकर दो व्यक्ति सुल्तान सिंह व दीनू की फर्जी गवाह करवाकर तामील दिखाते हुए परीक्षण न्यायालय से एकतरफा में डिक्री करा ली। विपक्षी ने सरोज को ग्राम मंदोला तहसील व जिला रेवाड़ी का निवासी बताकर उसके सम्मन पर भी सुल्तान सिंह व दीनू की गवाह में मकान पर चस्पा होना बताया है। दूसरी तरफ राजबाला जो ग्राम नंगली पठान, किशनगढ़बास की निवासी है, के नोटिस पर भी वही व्यक्ति सुल्तान व दीनू की गवाह कराई है जबकि दोनों सम्मन भिन्न भिन्न स्थानों के थे, एक राजस्थान का व दूसरा हरियाणा

का था। उक्त दोनों अलग स्थानों के नोटिसों पर एक ही व्यक्ति द्वारा तामील किया जाना यह प्रकट करता है तामील कुनिंदा की मिलीभगत से बिना कोर्ट की आज्ञा के नोटिस चस्पा किये जाने का नोट लगाया गया है, जो कतई फर्जी व गैर कानूनी होने से परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत है। मूल खातेदार राजकुमार की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति की हकदार उसकी बेवा सरोज एवं पुत्री राकेश है, जिनके नाम नामांतरकरण तस्दीक हुआ है किन्तु विपक्षी सरोज का जो देवर है, उसने सरोज के ससुर रोहताश से मिलकर अपीलार्थी के हक में भूमि छीनने के उद्देश्य से फर्जी वसीयत तैयार कराई, जो पंजीकृत न होने से साबित ही नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज होने के आधार पर वसीयत को सही मानने में त्रुटि की है। जबकि न तो वसीयत के गवाह पेश हुए न वसीयत पेश की गई है। विपक्षी राजेश स्वयं पुलिस विभाग में कार्यरत है इसलिए उसके व्यक्तिगत प्रभाव से वसीयत की पुलिस विभाग द्वारा जांच भी नहीं की गई है। वादी सं0 रबिना उर्फ राकेश, जो कि प्रतिवादी सं0–2 सरोज की नाबालिग पुत्री है, तथा उसके पास ही रहती है, बिलावजह वादी सं0–1 रोहताश ने सरपरस्ती बनकर जो वाद पेश किया है, वह गैर कानूनी है क्योंकि नाबालिग की सर्वप्रथम संरक्षक उसकी माता होती है। परीक्षण न्यायालय ने विधि के अनुरूप निर्णय पारित किया है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने विधि से परे जाकर जो निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी सं0–1 सरोज ने राजकुमार के विवाह के बाद पुनर्विवाह कर लेने से उसका राजकुमार की सम्पति में कोई हक एवं अधिकार नहीं रहा है फिर भी अपीलार्थी सं0–1 ने राजकुमार की भूमि का इंतकाल पहले अपने नाम करा लिया तथा उसके बाद भूमि का बेचान अपीलार्थी सं0–2 को कर दिया जबकि राजकुमार ने अपने जीवनकाल में ही अपनी आराजी की वसीयत प्रत्यर्थी के नाम कर दी थी। विवादित आराजी राजकुमार की खरीदशुदा आराजी है उसकी पैतृक सम्पति नहीं है इसलिए मु0 सरोज का विवादित भूमि में काई हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि अपने जीवनकाल में ही राजकुमार द्वारा अपनी भूमि की वसीयत कर दी गई थी। मु0 सरोज को वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था फिर भी उसके द्वारा जो बेचान किया गया है वह बातिल एवं बेअसर है। परीक्षण न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का गहनता से अवलोकन कर जो निर्णय पारित किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी सं0–1 राजेश कुमार के भाई एवं प्रत्यर्थी से0–2 कु0 रवीन उर्फ राकेश के पिता श्री स्व0 राजकुमार पुत्र रोहताश की सम्पूर्ण विवादित आराजी का हकदार प्रत्यर्थीगण/वादीगण है अथवा मृतक राजकुमार की धर्मपत्नी अपीलार्थी सं0–1/प्रतिवादी सं0–1 मु0 सरोज पत्नि मृतक राजकुमार भी आधे हिससे की हकदार है।

8– वाद पत्र की मद सं0–3 में वादी ने यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के भाई एवं पिता श्री राजकुमार द्वारा दिनांक 27–8–95 को क्रय की गई है तथा राजकुमार की मृत्यु दिनांक 14–02–98 को होना अंकित है। वाद पत्र की मद सं0 5 में राजकुमार की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 सरोज द्वारा वादीगण को बिना सूचना दिये पुनर्विवाह किये जाने का भी अंकन किया गया है।

9– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण सं0 1401 मृतक राजकुमार की विरासत का खोला गया है जिसमें खसरा नंबर 1144 रकबा 2.05 बीघा तथा 1187 रकबा 1 बीधा भी मु0 सरोज बेवा व राकेश पुत्र राजकुमार जाति अहीर के नाम खोला गया है। मु0 सरोज द्वारा अपने आधे हिस्से की भूमि का बेचान राजबाला पत्नि भानूप्रताप (अपीलार्थी सं0–2) को विक्रय करने पर नामांतरकरण सं0 1477 (बेचान) खोला गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमबांदी संवत 2054 से 2057 में भी उक्तानुसार राजकुमार पुत्र रोहताश के नाम विवादित आराजी का अंकन है तथा विशेष नोट में नामांतरकरण सं0 1401 एवं 1477 का अंकन किया गया है।

10– परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मु0 सरोज ने पुनर्विवाह करने से पूर्व अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है तथा वसीयतनामा भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

11– अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में यह अंकित किया है कि मृतक राजकुमार ने अपने जीवनकाल में भूमि की वसीयत अपने भाई एवं पुत्री जो कि वादीगण के नाम है, की है तथा उक्त मूल वसीयत जो मु0 सरोज द्वारा उनके खिलाफ एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन किशनगढ़बास में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजेश एवं उसके ससुर रोहताश ने उसके पति मृतक राजकुमार की ओर से फर्जी वसीयत तैयार करवाई गई और उस फर्जी वसीयत से जमीन अपने नाम करवाने चाहते है, इस पर सम्बंधित

उप थानाधिकारी ने एफ.आर. लगाई जिसको न्यायालय सिविल जज एवं ए.सी.जे.एम. किशनगढ़बास (अलवर) द्वारा स्वीकार किया गया। रोहताश पुत्र रामजीलाल द्वारा सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि एफ.आई.आर. नंबर 255/98 में मूल वसीयतनामा जमा करवाया गया था, उसे दिलवाया जावे। परन्तु मूल वसीयतनामा पत्रावली में नहीं होने के कारण प्रार्थी रोहताश को प्राप्त नही हो सका। उक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अपीलीय न्यायालय ने यह माना है कि मुतक राजकुमार द्वारा वादीगण के नाम वसीयत की गई है।

12– प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि क्या विवादित भूमि के आधे हिस्से की खातेदार मु0 सरोज बेवा राजकुमार है अथवा नहीं ? पत्रावली पर न तो वसीयतनामा पेश किया गया है न ही मु0 सरोज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह किये जाने का कोई दस्तावेज पेश किया गया है। पत्रावली पर मु0 सरोज बेवा राजकुमार द्वारा मृतक राजकुमार के आधे हिस्से की आराजी का प्रतिवादी सं0–2 को बेचान किये जाने की फोटो प्रति परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत मांढण प.सं. नीमराना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14–02–98 में यह अंकित किया है कि राजकुमार पुत्र श्री रोहिताश के एक लड़की है जिसका नाम रवीना है जिसकी उम्र 5 वर्ष है।

13– प्रकरण में यह निर्विवाद है कि मु0 सरोज मृतक राजकुमार की पत्नि थी तथा राजेश एवं कु0 रवीना भाई एवं पुत्री है। स्व0 राजकुमार ने अपने भाई राजेश एवं पुत्री कु0 रवीना के नाम जो वसीयत की है उसकी मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भी पेश नहीं की गई है न ही इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। मु0 सरोज द्वारा अपने पति राजकुमार की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया हो, इस बाबत भी कोई दस्तोवज की कॉपी इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या मृतक राजकुमार की विवादित आराजी के सभी विधिक वारिसान हकदार हैं अथवा नहीं। परीक्षण न्यायालय ने तनकियों पर विस्तृत विवेचना करते हुए मु0 सरोज एवं मु0 राजबाला के पक्ष में खोले गया नामांतरकरण सं0 1401 एवं 1477 को विधिसम्मत पाया है। मु0 सरोज के खातेदारी में अपने पति राजकुमार की विवादित आराजी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड था तथा उसने अपने हिस्से का ही मु0 राजबाला को बेचान किया है। परीक्षण न्यायालय ने विधिक रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया है किन्तु अपीलीय न्याायलय ने केवल यह देखा है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रमाणित आदेशिका दिनांक 08–6–2001 में वसीयतनामा तलब किये जाने बाबत वर्णन किया गया है। उक्त तथ्यों पर विश्वास करते हुए पत्रावली पर बिना वसीयत को देखे केवल मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए

वसीयत को सही माना है तथा मु0 सरोज द्वारा जो बेचान मु0 राजबाला को किया है, वह वादीगण के हितों पर बातिल एवं बेअसर माना है, जिसे हम विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय पाते है।

14– अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली का पूर्ण परीक्षण नहीं प्रकरण का केवल सरसरी तौर पर अवलोकन कर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध निर्णय है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

15– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–10–2003 खारिज किया जाता तथा सहायक कलक्टर, किशनगढ़बास (अलवर) का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनायाा गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य